प्रा.पत्र मुन्त./71/2022 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रामसिंह पुत्र मोहन सिंह जाति ठाकुर निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे रुदावल तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.........प्रार्थी0

बनाम

1—मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज रुदावल जरिये रघुसिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह जाति ठाकुर निवासी रघुनाथ मंदिर कालौनी वंशी पहाडपुर रोड रुदावल तहसील रुपवास जिला भरतपुर

2—बलवीरसिंह पुत्र गिर्राजसिंह । जाति ठाकुर निवासी ठिकरिया तहसील वयाना
3—रनवीर सिंह पुत्र गिर्राजसिंह। जिला भरतपुर
4—यतेन्द्र कुमार सिंघल पुत्र सिवाराम सिंघल । जाति वैश्य निवासी रुदावल
5—विपिन मित्तल पुत्र मुरारीलाल । तहसील रुपवास जिला भरतपुर
6—शशि कुमार गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता ।

.........अप्रार्थी0

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज. काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध श्री राजीव शर्मा, एस.डी.ओ. रुपवास।

———

उपस्थितः—

1—श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी ,

निर्णय दिनांक 31.01.2023

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. वखिलाफ श्री राजीव शर्मा,पीठासीन अधिकारी, एस.डी.ओ. रुपवास इस आश्य की पेश किया गया है, जो संक्षेप मे इस प्रकार है, कि एक दावा पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन है, दावा के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट भी विचाराधीन है, प्रकरण में वादी से मिलकर नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही हैं, पीठासीन अधिकारी श्री राजीव शर्मा द्वारा प्रकरण के तथ्यो पर

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

कोई नही किया जा रहा है और प्रकरण के निस्तारण में जल्दबाजी की जारही है, पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट रुप से कह दिया है कि वे बहस सुनकर स्टे को खारिज करेंगें। दिनांक 15.6.2022 को रघुसिंह ने प्रार्थी को यह धमकी दी है कि उनकी अब पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान पहचान है, प्रार्थी ने भी उनके कार्यालय में रघुसिंह को आते जाते देखा है, प्रार्थी को विश्वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर किसी दीगर न्यायालय में दावा प्रकरण मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई, एस.डी.ओ.रुपवास से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ.रुपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि प्रार्थना पत्र में अंकित कथन ही उसकी बहस मानी जावे। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जबाब में किये गये कथन ही उसकी बहस है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। एस.डी.ओ.रुपवास से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया। प्रार्थी ने अपने कथनों में एस.डी.ओ रुपवास द्वारा प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दिये जाने, एवं अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते उठते बैठते देखना तथा अप्रार्थी द्वारा धमकी देने सम्बन्धी आरोप लगाते हुये, पीठासीन अधिकारी से न्यायालय नहीं मिलने की आंशका जाहिर की गई है।

अप्रार्थी ने आरोप को इन्कार करते हुये कथन है कि प्रार्थी ने इकतरफा में एस.डी.ओ. रुपवास के यहां विचाराधीन प्रकरण में स्टे लिया हुआ है, प्रार्थना पत्र 212 बहस में लगा हुआ है, प्रार्थी प्रार्थना पत्र बहस नहीं होने देना चाहते हैं तथा लम्बा करना चाहते हैं।

प्रार्थी ने अपने आरोप के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नही किया गया है जिससे उसके आरोप की पुष्टी होती हो।

आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 437 :–

Rajasthan Tencancy Act 1995 Sec. 233 Transfer petition-No hurriedness shown by the presiding officer- Application of non-petitioners for appointing commisssioner dismissed by the Court- No proof produced in support of allegations & the allegations levelled are of common nature- No afficdavit of indepemdent witness produced - Application is filed with presumption & appreshension- Held' Transfer Petition is unfounded & liable to be rejected

प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र मात्र आंशका के आधार पर पेश किया

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

गया है, तथा एस.डी.ओ. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने की नियत के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2023 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)